बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, नवीनगर।
(E-mail-ID-nkcd1975@gmail.com)

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या –01 / 2023–24
पत्रांक –...135...नवीनगर / दिनांक–..13/2....2024

1	विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता	:	कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, नवीनगर।
2	निविदा प्रपत्र की बिक्री की तिथि	:	दिनांक 17.02.2024 से 20.02.2024 तक (कार्यालय अवधि में)।
3	निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	:	दिनांक 21.02.2024 अपराह्न 3.00 बजे तक।
4	तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय	:	दिनांक 21.02.2024 के अपराह्न 03.30 बजे तक।
5	निविदा प्रपत्र की बिक्री का कार्यालय	:	(क) मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद। (ख.) अधीक्षण अभियंता, उत्तर कोयल नहर अंचल, औरंगाबाद। (ग.) कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, नवीनगर।
6	निविदा खोलने का स्थानः	:	क्रमांक – 1 में वर्णित के कार्यालय में।

7. कार्य का विवरण–

क्रम सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण–विपत्र का मूल्य (रू0 में) लौटाया नहीं जायेगी।	कार्य पूर्ण करने की अवधि।
1	2	3	4	5	7
1	उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल नवीनगर अन्तर्गत सिंचाई कोलनी नवीनगर रोड़ परिसर के उतर चहार दिवारी (Boundry Wall) की मरम्मती कार्य।	13,32,000.00	26700.00	2500.00	14.03.2024

8. निविदा से संबंधित विस्तृत शर्त, नियम, आर्हत्ता, अग्रधन का स्वरूप, निविदा की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी के लिए परिमाण विपत्र बिक्री स्थल से सम्पर्क किया जा सकता है। साथ ही विस्तृत सूचना वेबसाईट www.wrdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

9. निविदा की वैधता की अवधी :– 120 दिन

निविदा के नियमों एवं शर्तों की जानकारी के लिए अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय के सूचना पट्ट तथा परिमाण विपत्र के बिकी की स्थलों पर सम्पर्क किया जा सकता है। एवं मोबाईल नम्बर –6207628460,8789460620 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

13/2/24

कार्यपालक अभियंता,
उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, नवीनगर।

नियम एवं शर्तें

1. निविदादाता को कार्यक्षेत्र के जिला अन्तर्गत का पथ निर्माण विभाग के कार्यालय से समुचित श्रोणी में निबंधित होना आवश्यक है। तत्संबंधी अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

2. निविदा मे भाग लेने वाले संवेदक को जी0 एस0 टी0 (G.S.T.) के अन्तर्गत निबंधित होना आवश्यक है एवं निबंधन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

3. परिमाण विपत्र का मूल्य जो लौटाया नहीं जायेगा, कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल नवीनगर के पदनाम से राश्ट्रीयकृत बैंक/अधिसुचित बैंक से ड्राफट के रूप में निर्गत हो तथा भारतीय स्टैट बैंक में भुगतेय हो। किसी भी परिस्थति में नगद राशि प्राप्त कर परिमाण विपत्र की बिकी नही की जायेगी। उक्त बैंक ड्राफट (मूल में) कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल नवीनगर/अधीक्षण अभियंता, उत्तर कोयल नहर अंचल औरंगाबाद/मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग औरंगाबाद के कार्यालय में परिमाण विपत्र खरीदते समय जमा किया जाना आवश्यक होगा।

4. अग्रधन की राशि कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल नवीनगर के नाम से विधिवत प्रतिज्ञित कराना होगा। अग्रधन की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक का सावधि जमा (1/2/3 वर्षीय) /एन0 एस0 सी0 अथवा बिहार सरकार द्वारा मान्य अन्य प्रतिभूति जो कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल नवीनगर के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित हो, स्वीकार किये जायेंगे। निविदा सूचना निर्गत की तिथि के पूर्व प्रतिज्ञित की मान्यता नही दी जायेगी। यह राशि परिमाण विपत्र में अंकित प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत (100 के गुणक) में होगा।

5. यंत्र सयंत्र गुणवता उपकरणों का सवामित्व प्रमाण पत्र अथवा निविदाकार द्वारा किसी अन्य ब्यक्ति /फर्म से यंत्र /सयंत्र उपलब्ध कराने का प्रतिशपथ पत्र साथ ही ब्यहृत होने वाले यंत्र सयंत्र की ब्यवस्था करने संबंधि प्रमाण पत्र।

6. अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र (छः माह के अन्दर का) उस जिले के जिलाधिकारी / आरक्षी अधीक्षक से निर्गत होना चाहिये। पार्टनरशिप एवं कम्पनी के मामले में कमशः प्राइम पार्टनर का आचरण प्रमाण पत्र आवश्यक है।

7. कार्यो को विशिष्ट के अनुरूप करने हेतु सभी आवश्यक मशीनों एवं यंत्र सयंत्र एवं गुण नियंत्रण उपकरणों के सवामित्व प्रमाण पत्र निविदादाता द्वारा बिड के साथ संलग्न करना होगा। नये ब्यवस्था से यह भी प्रावधान किया गया है कि आवश्यक मशीनों एवं यंत्र सयंत्र एवं गुण नियंत्रण उपकरणों की व्यवस्था निविदादाता द्वारा स्वयं करनी होगी/ निविदादाता अगर किसी ब्यक्ति /फर्म यंत्र सयंत्रों की व्यवस्था संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध करने की स्थिति में विभाग द्वारा इसकी सत्यता एवं कार्यभार के संबंध में संतुष्ट हो लिया जायेगा।

8. संवेदक द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति को ही प्रमाण पत्र निर्गत किया जयेगा।
9. निविदादाताओ को आवंटित कार्य से संबंधित सभी सामाग्री के कय का प्रमाणक जिसमें उनकी विशिष्टि का स्पष्ट वर्ण हो, समर्पित करना होगा। जिसके अभाव में भुगतान रोक दिया जा सकता है।

10. आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा। इस मद मे कोई भी दावा या ब्याज इत्यादि अनुमान्य नही होगा।

11. संवेदक द्वारा विविध कार्यो के लिये एकरारनामा लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र एफ–02 पर किया जाता है तथा पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या–ए0–21 नियम 08/92–6113(ए) दिनांक 18.01.1992 से एरारनामा प्रपत्र एफ 02 की कंडिका –23 को विलोपित माना जायेगा।

12. निविदा में सफल संवेदक के एरारनामा करने के उपरान्त साप्ताहिक या मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।

13. यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त भी एकरारनामा का अंग होगा।

14. कार्य की प्राक्कलित राशि घट–बढ सकती है। अतएव परिमाण विपत्र के आधार पर अग्रधन की राशि एवं निविदा संलेख का मूल्य देय होगा।

15. निविदाताओं को दो मुहरबंद लिफाफों में निविदा दस्तावेज समर्पित करना होगा। प्रथम मुहरबंद लिफाफा पर तकनिकी निविदा तथा दूसरे लिफाफे पर वित्तिय निविदा अंकित करना होगा। प्रथम मुहरबंद लिफाफा तकनिकी निविदा के लिये होगा। तकनिकी निविदा वाले लिफाफे में समुचित श्रेणी में निबंधित, वस्तु एवं सेवा कर निबंधन संख्या, पैन संख्या, चरित्र प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति तथा वांछित अग्रधन की राशि जमा करना होगा। द्वितीय मुहरबंद लिफाफा में दर अंकित कर (अंक एवं शब्द दोनो में) जमा करना होगा।

16. निविदादाताओं को पार्टनरशिप डीड / मेमोरंडम आफ एसांसिएसन/पावर आफ एटोमी/एथोरटी लेटर की सत्यापित प्रति आवश्यकता अनुसार तकनिकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

17. निविदा प्राप्ति की तिथि को राजपत्रित अवकाश घेषित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस को निश्चित समय पर प्राप्त एवं खोली जायेगी।

18. जिन निविदाताओं को कार्य आवंटित होगा उन्हें तत्काल एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ कर देना होगा अन्यथा कार्य आवंटन रदद करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।

19. पथ निर्माण विभाग के पत्रांक **4439(E)** दिनांक 17.07.2023 के कम में पथ निर्माण विभाग के अधिसुचना संख्या **447(S)** दिनांक 16.01.2020 –सह–पठित ज्ञापांक **444(S)** दिनांक 16.01.2020 तथा जल संसाधन विभाग के ज्ञापांक 536 दिनांक 18.07.2023 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा पद्वती में निविदा दर की न्यूनतम सीमा को समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्वत दर वाले के लिए **Additional Performance Guarantee** को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

20. निविदादाताओ का दायित्व होगा की निविदा डालने के पूर्व कार्य स्थल पर कार्य की प्राक्कलित एवं कार्य सम्पादन में आने वाली कठिनाइयों से स्वयं अवगत हो लें। एकरारनामा सम्पादित कर लेने के बाद किसी कारण से कार्य सम्पादन में असमर्थ रहने वाले संवेदक नियमानुकूल दण्डात्मक कार्यवाई के भागी होगे।

21. कार्य के पूर्ण होने तक सामाग्रयों की सुरक्षा एवं भण्डारण की व्यवस्था का दायित्व संवेदक का होगा।

22. वस्तु सेवा कर, आयकर, एवं श्रम कल्याण निधि (लेबर सेस) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

23. बिना कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक निविदा को स्वीकार अथवा रदद करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। रदद किये गये निविदा के लिय किसी प्रकार का स्पषटिकरण बताने हेतु निर्णय लेने वाले पदाधिकारीच बाध्य नही होंगें।

24. एक से अधिक निविदाकार के द्वारा सामान्य न्युनतम दर उद्वत किये जाने की स्थिति में सफल निविदाकार का चयन बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 163 के प्रावधान के आलोक में लौटरी के माध्यम से किया जायेगा।

25. स्वामित्व एवं Seignorage Fee (मालिकाना फीस) के संबंध में विभागीय प्रत्रांक 599 दिनांक 06.12.2019 का अनुपालन करना होगा।

26. निम्न आशय का शपथ पत्र (Affidavit) निविदा के साथ समर्पित करना होगा।

" I the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachement are true and correct and if found fake/forged the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing.

13/2/24

कार्यपालक अभियंता,

उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, नवीनगर।

13/02/024

पत्रांकः 135 / नवीनगर, दिनांक 13/02/024

प्रतिलिपिः–सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचना की एक प्रति Hard copy एवं Soft copy के साथ सूचनार्थ एवं विभागीय Website पर प्रकाशन हेतु समर्पित।

अनु0:–यथोक्त्।

13/2/24

कार्यपालक अभियंता

उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, नवीनगर।

13/02/024